

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्रीमती कमलिन्दर कौर, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, भावली जिला उदयपुर में कार्यरत हैं, जिनकी जन्मतिथि 19.01.1960 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 10.07.1985 है, ने नियमानुसार नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 15.02.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। अतः राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम 50(4) एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ16(7)एफडी/रूल्स/2006, दिनांक 14.01.2016 की अनुपालना में दिनांक 15.02.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उप नामित श्रीमती कमलिन्दर कौर, के विरुद्ध

आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम --19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(नथमल डिडेला)


आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-5/कमलिन्दर कौर/2017

दिनांक : 21/12/17

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आक्षेपक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, उदयपुर
2. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, उदयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), प्रथम उदयपुर
4. कोषाधिकारी, उदयपुर
5. श्रीमती कमलिन्दर कौर, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भावली जिला उदयपुर
6. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, भावली जिला उदयपुर
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग
9. प्रभारी बी-1/II कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्यिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्रीमती गायत्री चौधरी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विनायक जिला कोटा में कार्यरत हैं, जिनकी जन्मतिथि 19.05.1960 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 21.11.1981 है, ने नियमानुसार नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 01.02.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही है। अतः राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम 50(4) एवं विरत विभाग के आदेश क्रमांक एफ16(7)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 14.01.2016 की अनुपालना में दिनांक 01.02.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उप नामित श्रीमती गायत्री चौधरी, के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेला)
आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिबिरा/मा/संस्था/ए-6/गायत्री चौधरी/2017

दिनांक : 21/12/17

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, कोटा
2. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), कोटा
4. कोषाधिकारी, कोटा
5. श्रीमती गायत्री चौधरी, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विनायक जिला कोटा
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विनायक जिला कोटा
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
8. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग
9. प्रभारी बी-1/II कार्यालय हाजा।
10. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर